झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक :–   दिनांक :–

सेवा में,

Chief Project Manager,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited,
18/N Ground Floor, Block – A, New Alipor,
Kolkata, West Bengal – 700053

विषय :– डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग जिला (Detour Section) के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक शून्य दिनांक 30.04.2016

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव ऑन लाईन सर्मपित किया गया है, जिसका प्रस्ताव संख्या FP/JH/Rail/18720/2016 है। उक्त ऑन लाईन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आठ प्रतियों मे प्रमंडलीय कार्यालय में सर्मपित की गई है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकनोंपरांत निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत् हैः–

(1) विषयांकित प्रस्ताव में आपके द्वारा सर्मपित भूमि अनुसूची को कार्यालय अभिलेख से मिलान करने के उपरांत यह पाया गया कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत मात्र 13 मौजा अन्तग्रस्त हैं। शेष मौजा यथा मैनुखर चौपारण – 17, गरमोरवा, चौपारण –15, बुकाड, चौपारण – 234 एवं खैराटांड, चौपारण – 233 इस प्रमंडल अन्तर्गत नहीं पड़ता है। अतएव संशोधित भूमि अनुसूची सर्मपित करें, जिसमें इस प्रमंडल अन्तर्गत पड़ने वाले मौजों का उल्लेख हो।

(2) कैडस्ट्रल ग्राम मानचित्र वर्ष 1911–12, 16 Inch = 1 mile माईल के स्केल पर लोकेशन दर्शाते हुए हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रस्तावित 13 मौजों का मानचित्र सर्मपित करें। उक्त मानचित्र के अभाव में प्रस्तावित मौंजों के विरूद्ध अंकित रकवा का मिलान करना संभव नहीं है। आपके द्वारा प्रस्तावित मौजों का A4 साईज में मानचित्र सर्मपित किया गया है, जिसका मिलान प्रमंडलीय अभिलेखों से करना संभव नहीं है।

(3) आपके द्वारा सर्मपित 1:50000 स्केल वाले मूल टोपो मानचित्र पर प्रस्तावित फ्रेट कोरीडोर का मार्ग (Alignment) नहीं दर्शाया गया है। अपितु मात्र प्रभावित होने वाले मोजों को अलग रंग से दर्शाया हुया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

(4) आपके द्वारा डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के निर्माण हेतु 4 वैकल्पिक मार्ग का तुलनात्मक विशलेषन कर प्रतिवेदन संलग्न किया गया है, परन्तु तुलनात्मक विशलेषन में प्रत्येक विकल्प में कितनी वनभूमि प्रभावित हो रही है का उल्लेख नहीं है। जिससे कि Barest and minimum use of Forest Land पद्ति के आधार पर न्यूनतम वन प्रभावित करने वाले विकल्प को सर्वोत्तम माना जा सके। सर्मपित तुलनात्मक विशलेषण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है।

(5) Alternate route alignment map प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। आपको डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के निर्माण हेतु चयनित चारों वैकल्पिक मार्ग को मानचित्र पर दर्शाते हुए सर्मपित करना है।

(6) प्रस्ताव में सर्मपित Cost benefit analysis report गलत है एवं अपूर्ण है। यह वास्तवितक तथ्य पर आधारित नहीं है। यह एक Theoretical Report है न कि Practical Report. इसमें प्रस्तावित निर्माण से हो रहे Loss of value of timber , Fuel etc. से संबंधित गणना नहीं की गयी है साथ ही प्रतिवेदन में Increase in Productivity की गणना नहीं की गयी है।

(7) प्रस्ताव में अन्तग्रस्त गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत होने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(8) प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(9) प्रस्तावित वनभूमि के उपयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से आईटम वाईज ब्रेकअप ऑफ लैण्ड की विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(10) प्रस्ताव में सर्मपित R&R Plan संबंधित पुर्नवास आयुक्त (Rehabilitation Commissioner) से अनुमोदित कराकर सर्मपित नही किया गया है, जिससे की यह सत्यापित नहीं हो पर रहा है कि सर्मपित R&R Plan Jharkhand R & R Policy 2008 के अनुरूप तैयार किया गया है अथवा नहीं।

(11) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि (वनभूमि +गैर वनभूमि) का ग्रामवार, खसरावार सत्यापित विवरणी (Land- schedule) प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(12) प्रस्ताव में अन्तग्रस्त गैर वनभूमि का भूमि अनुसूची (Land- schedule) संलग्न नहीं है कृपया प्रस्तावित गैर वनभूमि का ग्रामवार, खसरावार विवरण सर्मपित किया जाय।

(13) DGPS report in shape file प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है। आपके द्वारा मात्र DGPS map सर्मपित किया गया है, जो अस्पष्ट है।

(14) प्रस्तावित वनभूमि में कराये गये ग्राम सभा/आम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

(15) प्रस्तावित वनभूमि के वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने से संबंधित सूचना संलग्न नहीं है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित फ्रेट कोरीडोर 81.535 हे0 क्षेत्र गैतमबुद्वा वन्य प्राणी आश्रयणी से होकर जाती है। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि आप गौतमबुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु अलग से वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के कार्यालय में प्रस्ताव सर्मपित करें, ताकि प्रस्ताव पर NBWL की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(16) Form A के पार्ट – I के क्रम संख्या D (ii) में संदंर्भित '"Alternative Examined" में आपके द्वारा "NO" लिखा है, जबकि आपके द्वारा डेडीकेटेट फेट कोरीडोर के निर्माण हेतु 4 वैकल्पिक मार्ग का तुलनात्मक विशलेषन कर प्रतिवेदन संलग्न किया गया है, जो अपने आप में विरोधात्मक है।

(17) प्रस्ताव के Contents में वर्णित अनुलग्नक – V, XIII, XIV, XV प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(18) आपके द्वारा सर्मपित GPS Coordinates अपूर्ण है, क्योंकि Longitude & Latitude आधारित प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रमंडलीय कार्यालय में सर्मपित करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

User AgencyfcaDedicatedEFC72_68

ज्ञापांक :–   दिनांक :–

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– 2690   दिनांक :– 18-05-16

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल
18/05/16

User AgencyfcaDedicatedEFC72_68